समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

श्री उमेश प्रसाद, अमीन, (निलंबित) अंचल कार्यालय सदर के द्वारा स्थानान्तरण की सूचना प्राप्त होने पर जानबूझ कर तारापुर अंचल कार्यालय में योगदान नहीं करने ,जानबुझ कर अनुपस्थित रहने ,आदेश की अवहेलना करने ,तारापुर अंचल में योगदान नहीं देने के कारण तारापुर अनुमण्डल अन्तर्गत भू –मापी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कियाकलाप प्रकट हाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 563 / स्था0, दिनांक 26.04.2012 के द्वारा श्री उमेश प्रसाद,अमीन, अंचल कार्यालय,सदर मुगेर को निलंबित किया गया, निलंबन के पश्चात् स्थापना उप समाहर्त्ता,सदर मुंगेर के पत्रांकः–744 दिनांकः–04.06.2012 के द्वारा प्रपत्र–क– उपलब्ध कराया गया, प्रपत्र –क – प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञापांकः–880 / स्था0,दिनांकः–28.06.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री श्यामानन्द झा,अपर समाहर्त्ता,विभागीय जॉच,मुगेर को संचालन पदाधिकारी एंव अचल अधिकारी, सदर मुगेर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, मुगेर –सह– संचालन पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 99 / दिनांक 10.09.2012 के द्वारा प्राप्त विभागीय कार्यवाही अभिलेख का अवलोकन एवं विवेचना के पश्चात् यह पाया गया कि श्री उमेश प्रसाद,अमीन के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि आरोपी के द्वारा नये पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं करने ,विधिवत् अवकाश स्वीकृत नहीं कराने, अवकाश हेतु आवेदन पत्र कार्यालय को समर्पित करने का कोई प्राप्ति रसीद नहीं होने, सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण, पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति धोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एंव अकर्मण्यता की पुष्टि की गई है।

अतः श्री उमेश प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली – 2005 के नियम 14 (i) एंव (IV) के तहत निन्दन एंव तीन वर्षो के लिये असंचात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रकम पर अवनति की सजा अधिरोपित किया जाता है निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि नहीं मानी जाएगी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली – 2005 के नियम 10 (I) के आलोक में निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, अंचल अधिकारी सदर मंगेर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि उनके सेवापुस्त में दर्ज करते हुए सेवापुस्त में दर्ज प्रविष्टि की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें । साथ ही विभागीय कार्यवाही पूर्ण हाने के फलस्वरूप भविष्य के लिए चेतावनी के साथ निलंबन से मुक्त करते हुए इनका पदस्थापन अंचल कार्यालय ,तारापुर के रिक्त पद पर करते हुए आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अंचल कार्यालय,तारापुर में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें ।

ह0 / –
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1395 / स्था0, दिनांक 27/9/12

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता,मुंगेर / श्री श्यामानन्द झा,अपर समाहर्त्ता,विभागीय जॉच,मुगेर –सह– संचालन पदाधिकारी, मुंगेर / अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर मुंगेर / तारापुर / कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर / अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर / तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री उमेश प्रसाद, (निलंबित)अमीन, अंचल कार्यालय सदर, मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

25/09/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।